अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

225 रामकिशन V/s मोती कंवर

2023/156

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री रमन खां   श्री अप्रार्थीगण 3, 6 व 10, 11

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पेशी

24/5/23

रामकिशन बनाम मोती कंवर वगैरह (156/2023)

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश कि गई। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 23.05.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के पक्ष में अवैधानिक रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किय एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार बिना व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात से महरूम करने की नियत से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 03 द्वारा फर्जकारी रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित एकमात्र मुखालफाना कब्जे के आधार पर मिथ्या कथनो के आधार पर राजस्व प्रार्थना पत्र में न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध होने से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान कातश्तकारी अधिनियम के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 115/2022 बउनवानी "श्रीमती मोती कंवर बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जाने के आदेश न्याहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक केवियकर्ता ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि वाकै गॉव लाम्बा तहसील मसूदा स्थित हाल खसरा नम्ब्र 2317/1212 रकबा 0.1618 है0, 2318/1212 रकबा 1.0841 है0, 2319/1212 रकबा 1.4562 कुल रकबा 2.7021 है0 वादीगण/रेस्पोडेन्ट की अन्य रिकार्डेड आराजी स्थित होने के कारण व लम्बे समय से वादीगण/रेस्पोडेन्ट के ही कब्जे व काश्त में होने के कारण वर्तमान में भी वादीगण का ही कब्जा खुल्लम –खुल्ला चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है किन्तु प्रतिवादीगण सिर्फ अभिलेखों में सरकारी व प्रतिवादीगण संख्या 8 व 09 के नाम गैर खातेदारी में होने के कारण वादीगण को वादग्रस्त आराजी जो कि मौके पर अलग नहीं है से बेदखल करना चाहते है। इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.04.2023 को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है जिसमें अपीलांट/प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की क्षति उत्पन्न नही होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निरतारण नहीं किया गया है और अंतिम निर्णय पारित होना है इसलिए प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है जो चलने योग्य नही होने के कारण खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रकरण संख्या 115/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 में वाकै गॉव लाम्बा तहसील मसूदा स्थित हाल खसरा नम्ब्र 2317/1212 रकबा 0.1618 है0, 2318/1212 रकबा 1.0841 है0, 2319/1212 रकबा 1.4562 कुल रकबा 2.7021 है0 वाकै ग्राम लाम्बा तहसील मसूदा के आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश पारित किये है जिससे असंतुष्ट होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

---लगातार

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

156/2023/225 रामकिशन व/s भोली बाई

तारीख	2023/06	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	GA 10/11
पेशी	श्री ... AD	श्री	... - 3

लगातार

अप्रार्थी / अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अप्रार्थी / अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर सीधे तौर पर यह अपील प्रस्तुत की है जबकि अप्रार्थी / अपीलांट यदि उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश से किसी भी प्रकार से पीडित थे तो उनको अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख कर आदेश 39 नियम 4 जा.दी. के तहत् कार्यवाही करनी चाहिए थी, उनके द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अन्तरिम स्थगन ने कन्डिशिशनल आदेश पारित किये है जिसमें कथन किया गया है कि वाद के चलते अन्य परिस्थितियों में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना चाराजोही करनी चाहिए थी। अपीलांट विवादित आराजी खसरा नम्बर 2318 / 1212 रकबा 1.0841 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को भी प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रयास करना चाहिए अन्यथा अपूर्णीय क्षति तो अपीलांट को ही होनी है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 60 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner